



जिला मजिस्ट्रेट
टांक

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीना, बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीना द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से ऋण खाता संख्या HLR00000000015182 से दिनांक 12.09.2023 को कुल 13,00,000/रुपये (अक्षरे तैराह लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया था व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सीधिया के एवज में बंधक सम्पत्ति, दुर्गेश कुमार बौरवा के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड . पहा संख्या 20215, वाके ग्राम कुन्हरो का मोहल्ला वाड संख्या 10, देवली, जिला टांक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 74.86 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम

दिनांक 06.05.2026

आदेश

अर्चिस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरस्ट एक्ट 2002 प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्युरिटीइंजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल ऋणी/सहऋणी/जमानती

- 1-श्रीमति सुरेखा पत्नी श्री दुर्गेश बौरवा निवासी ग्राम देवली तहसील देवली जिला टांक (राज.)
- 2-श्रीमति सीता देवी पत्नी श्री मुकेश बौरवा निवासी ग्राम देवली तहसील देवली जिला टांक (राज.)
- 3-श्री दुर्गेश पुत्र श्री नारण लाल बौरवा निवासी ग्राम देवली तहसील देवली जिला टांक (राज.)
- 4-श्री शिवराज पुत्र श्री लालचन्द बौरवा निवासी लोहा मोहल्ला ग्राम नशीराबाद तहसील नशीराबाद जिला अजमेर (राज.)
- 5-श्री बाबू लाल पुत्र श्री नारायण सीता निवासी ग्राम उवा तहसील उवा जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

"एसआरजी हावर्सिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोहा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सकल उदयपुर 313001 में स्थित व कार्यरत है।

19.08.2025

139/2025

प्रतिष्ठि दिनांक

प्रकरण संख्या

(पीठाधीन अधिकारी टीना जर्बी, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टांक



काट
जिला मजिस्ट्रेट
(टीना ताली)
काट

आदेश और दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वहन किया जाएगा।

वैतनभरों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाड़े जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 06.05.2026 को कम्पनी/कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक को पर्याप्त पुलिस जांचा मुहैया कराने हेतु निर्णय रजमान आदेश न हो। वहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये सुनिश्चित कर लिया जावे कि वहन रखी सम्पत्ति के संरक्षण में किसी संक्षम न्यायालय को पालना करवे हेतु कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एप्लिकेशन एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल रिट्स एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की में वहन रखी गई सम्पत्ति को सी सिविल रिट्स एंड एक्जिक्यूटिव कोर्ट जेडान एण्ड सेक्युरिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ फाइनल डिपोजिट निर्णय प्रति तहसीलदार देवली को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।
है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निराकरण इस कार्यालय से करावे।

1. वहन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता

को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :
पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वहन श्रद्धा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ नियमों के अनुसार समस्त कार्यावृत्ति पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई रजमान प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आदेश का शपथ पत्र पेश किया कि

- in his opinion, be necessary.
- (1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
 - (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.
 - (a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and